न्यायालय एस0डी0ओ0, नगर (भरतपुर)

	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज निर्णय मोतीराम–सायल बनाम गिर्राज वगै.–गैरसायलान 15/20 किस्म मुकदमा: 212 आर.टी.एक्ट.	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुये।
31/07/2020	आज यह प्रार्थना पत्र सायल द्वारा अंतर्गत धारा 212 आर. टी.एक्ट. के तहत अपने मूल दावा के साथ पेश किया । प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री ललित अवस्थी की एकपक्षीय बहस वावत जारी किये जाने अंतरिम स्थगन आदेश सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया प्रथमदृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे एवं गैरसायलान को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह आगामी दिनांक 14/09/2020 तक आराजी खसरा नंबरान 2121/0.16 बाके कस्बा नगर, तहसील नगर की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं रहन वय मुंतकिल नही करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। इस आदेश के जारी रहने मे कोई आपत्ति हो तो इस न्यायालय में उपस्थित होकर जबाव पेश करे। पत्रावली वास्ते तलवी गैरसायलान दिनांक 14/09/2020 .को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नगर (भरतपुर) राज०	
14/8/20	वादी/सायल के प्रार्थना पत्र पर मूल वाद पत्र राजीनामा के आधार पर फैसल शुमार किया गया। इस हिसाब वाद पत्र के साथ संलग्न यह प्रार्थना पत्र स्वतः ही फैसल हो जाता है दिनांक 31/07/2020 को जारी शुदा स्थगन आदेश खारिज फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद पत्र रहे। उपखण्ड अधिकारी नगर (भरतपुर) राज०	मोतीराम